131

R 573-I-17

# समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

श्री डी. के. पासी (एड.) द्वारा आज दि0 7/2/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

तुलसिया पत्नी बंशिया अहिरवार
निवासी ग्राम धमना तह. राजनगर
जिला छतरपुर म.प्र. ..........आवेदक

//विरूद्ध//

~~1. लल्लू तनय चिट्टी अहिरवार (फौत)~~

2. म.प्र.शासन ....अनावेदकगण

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244803

D.K. Pasi (Ad.)
Board of Revenue Motimahal
M.P. Gwalior
Mob. 9755850339

7-2-17
प्रतिप्राप्त

## निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर के रा. प्रकरण क्रमांक 69/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23–01–2017 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दिदौनिया राजस्व निरीक्षक मंडल बसारी तह. राजनगर जिला छतरपुर की भूमि खसरा नंबर 1035/3, 815/1ख रकवा क्रमशः 1.000 1.000 हे0 कुल किता 02 एकत्र रकवा 2.000 हे0 एकाकी रूप से स्व. लल्लू अनावेदक क्र.1 के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है एवं भूमि खसरा नं. 1039 शामिल शरीक रकवा 0.409 हे0 में हिस्से 1/6 अनावेदक क्र0 1 के नाम दर्ज है। जिनका स्वर्गवास हो जाने के आधार पर आवेदिका के पक्ष निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त किए जाने यह निगरानी विधिवत रूप से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

3. यह कि वसीयतकर्ता अनावेदक क्र01 लल्लू तनय चिट्टी अहिरवार का स्वर्गवास दिनांक 21.10.2012 को हो चुका है इस कारण निष्पादित वसीयतनामा जो कि आवेदिका के पक्ष में लेख किया था मान्य न कर आपत्ति कर्ता रमेश एवं बालदीन के द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा के आधार नामांतरण कर गंभीर विधिक त्रुटि की है जो न्यायसंगत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-573/I/17 जिला छतरपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 8-2-17 | 1– आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नायब तहसीलदार बसारी के रा.प्र.क्र. 69/अ–6/2012–13 मे पारित आदेश दि. 23/01/2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।<br>2– प्रकरण सारांश में इस प्रकार है कि विवादित भूमि के स्वत्वधारी अनावेदक क.1 लल्लू पिता चिटट्री अहिरवार द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा आवेदिका के पक्ष में दिनांक 10.07.2012 को निष्पादित किया था तथा दूसरा वसीयतनामा आपत्तिकर्ता रमेश एवं बालादीन के पक्ष में दिनांक 08.03.2011 को निष्पादित किया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा मान्य करते हुए नामांतरण के निर्देश दिए जाने पर इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>3– मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में मृतक खातेदार लल्लू तनय चिटटी अहिरवार द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दि.10.07.2012 के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के समक्ष नामांतरण चाहा था किंतु विचारण न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 08.03.2011 के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया है हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत सिंजरा के अनुसार आवेदिका वसीयतकर्ता की सगी बहन एवं आपत्तिकर्ता बालादीन एवं रमेश सगे भाई के लड़के है इस कारण उभयपक्ष ही विवादित भूमि के वैद्य वारिस है जिनके पक्ष में अलग–अलग वसीयतनामा निष्पादित किए जाने से उसकी वैद्यता को प्रश्नगत करता है :– "न्यायिक दृष्टांत आर.एन.2009 पृष्ठ 38 मनोहर दास वि0 भूरीबाई व | |

[कृ. प. उ.

R 573-A/17

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | अन्य" में संदेह जनक वसीयत पर नामांतरण का दावा नहीं किया जा सकता जो इस प्रकरण प्रभावशील होने से विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी द्वारा वसीयतनामा के आधार नामांतरण आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ।<br>4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है नायब तहसीलदार बसारी द्वारा पारित आदेश दि. 23.01.17 निरस्त करते हुए वाद भूमि पर मृतक खातेदार स्व. लल्लू तनय चिटटी के स्थान पर पटवारी द्वारा प्रस्तुत सिंजरा अनुसार नामांतरण स्वीकृत करते हुए वारसान हक में आवेदिका एवं आपत्तिकर्ता रमेश, बालादीन एवं उनकी मां गौराबाई को उनके हक अनुसार राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किए जाने के निर्देश दिए जाते है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br>सदस्य | |